



504/11

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4397 / 05 / 76 / एक / 2016-17
सेवा में,

दिनांक : 14 दिसम्बर 2016

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-बलरामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्ता की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
इलाहाबाद बैंक	50071238213	IFSC Code ALLA 0212510	88.641

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड अधियारी बाग में श्रीमती सिंगारी देवी स्कूल से रहमतउल्ला के मकान होते हुए महफूज के मुर्गी फार्म तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	26.259
2	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड अधियारी बाग में शफीक राइनी के मकान से मुस्तफा के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.621
3	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड अधियारी बाग में मो0 सईद अंसारी के मकान से पप्पू के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.758
4	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड नई बस्ती में लतीफ बोस के तालाब से डा0 हमीदा खातून के मकान होते हुए खालिद के वर्कशाप तुलसीपुर रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.633
5	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड नई बाजार उत्तरी में तुलसीपुर रोड से एम0एफ0 खान के मकान से हकीम मुनीम के मकान होते हुए मेजर चौराहा रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	10.129
6	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड विशुनीपुर रिजर्व मोहल्ला नहरबालागंज में सुआंब बंधा से दोस मोहम्मद के मकान होते हुए जमालुद्दीन के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.043
7	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड गदुरहवा दक्षिणी में मुरलीपुर में श्री छेदी के मकान से श्री धनीराम के प्लाट एवं श्री फखरुद्दीन के मकान होते हुए श्री बुधराम के मकान के सामने तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	19.631
8	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड गदुरहवा दक्षिणी में मौलाना मिठाई वाले के मकान से शरीफ के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.772
9	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड नौशहरा चिकनी मोहल्ला नौवा बाग में मून के मकान के पीछे से नवभारत प्लाजा के पीछे होते हुए इसरार अहमद के मकान के पीछे तक इण्टर लाकिंग व	3.239



504/2

दूरभाष- 2286709

2286710

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				नाली निर्माण कार्य।	
10	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड अधियारी बाग में कब्रिस्तान रोड के मकान से डा0 जाहिद के मकान के पीछे होते हुए डा0 मन्नान के प्लाट तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	3.043
11	बलरामपुर	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 बलरामपुर	वार्ड अधियारी बाग में इरशाद अहमद के मकान से मा0 इसहाक अंसारी के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	2.513
	योग				88.641

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमत्त न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



504/3

दस्तावेज- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जिला	विवरण
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10